



# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक: 315 -अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-II(D)/से०नि० दिनांक: 21/01/2026

### कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कारपोरेशन के लेखा संवर्ग एवं लिपिकीय संवर्ग के अधोनामित कार्मिक अधिवर्षता की आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार स्तम्भ-6 में अंकित उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को कारपोरेशन की सेवाओं से सेवानिवृत्त होंगे :-

### लेखा संवर्ग

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	जन्मतिथि	अधिवर्षता की आयु पूर्ण होने पर माह की अन्तिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री विक्रम सिंह यादव	लेखाधिकारी	महाप्रबन्धक (वित्त), वि०का०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून	30.06.1966	30.06.2026 (अपरान्ह)
2	श्री हरीश चन्द्र पाण्डे	सहायक लेखाधिकारी	विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रप्रयाग	01.07.1966	30.06.2026 (अपरान्ह)
3	श्री श्याम सिंह नितवाल	सहायक लेखाधिकारी	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर	03.06.1966	30.06.2026 (अपरान्ह)

### लिपिकीय संवर्ग

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	जन्मतिथि	अधिवर्षता की आयु पूर्ण होने पर माह की अन्तिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सरोज सिंह,	कार्यालय सहायक-प्रथम	विद्युत वितरण मण्डल (नगरीय), न्यू फोरेस्ट, देहरादून	01.07.1966	30.06.2026 (अपरान्ह)

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित कार्मिकों को स्तम्भ-6 में दर्शित उनकी अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति की तिथि की अपराहन तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। यह भी आदेशित किया जाता है कि अधिकारी की अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व कॉरपोरेशन सेवा में सेवारत रहते हुए उनके पेंशन-प्रलेखों की तैयारी के लिए उनकी अर्हकारी सेवा की संगणना, औसत परिलब्धियों का हिसाब एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक/न्यायाधिक/प्रशासनिक जांच, यदि कोई लम्बित हो, पूरी करने की कार्यवाही प्रत्येक दशा में शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कर ली जाय। सम्बन्धित परिषदीय/कॉरपोरेशन कर्मचारी यदि विभाग के आवासीय भवन में रह रहा हो तो वह अपनी सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद विभागीय आवास को खाली कर दे तथा उसके समस्त देयकों का तत्काल कारपोरेशन को भुगतान कर दे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं कर्मचारी की विधिक जिम्मेदारी होगी।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पेंशन प्रपत्र ससमय अपने माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं सम्बन्धित कर्मचारी का भी दायित्व होगा कि वे अपने पेंशन प्रपत्रों को अपनी सेवानिवृत्ति के निर्धारित समयानुसार कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि निर्धारित समयवधि तक प्रपत्रों को पेंशन रवीकृति हेतु निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जा सके।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :- 315 -अधिनिदेश(मा0सं0)/उपाकालि/S-II(D)/से0नि0,तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ ऑफिसर-1, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून ।
2. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय अधिशासी निदेशक(मा0सं0), वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून ।
3. समस्त निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून ।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता(वितरण), उपाकालि, ..... ।
5. सम्बन्धित महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि, ..... ।
6. सम्बन्धित, अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ..... ।
7. सम्बन्धित उपमुख्य लेखाधिकारी,..... ।
8. सम्बन्धित, अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ..... ।
9. अधिशासी अभियन्ता(का0में0), वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून ।
10. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु ।
11. सम्बन्धित कार्मिक/कार्यालय ज्ञाप पंजिका/वै0 पत्रावली ।

*Subhato*  
21/07/26  
(एस0 के0 भाटिया)  
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)